

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के पत्रांक 19/-HCICC दिनांक 06.11.2023 एवं 06/-HCICC दिनांक 10.04.2024 के आलोक में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 (पोश अधिनियम) के शासनादेश के अनुपालन के क्रम में व्यवहार न्यायालय परिसर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में की गई शिकायत के लिए आंतरिक शिकायत समिति निम्न प्रकार पुनर्गठित की जाती है जिनका कार्यअवधि आज के तिथि से तीन वर्षों के लिए होगा-

क्र. सं०	नाम	समिति में सदस्यों के पदनाम	ईमेल-आईडी	मोबाईल सं०
1.	श्रीमती सुमीता श्वेता मिंज, सिविल जज(सिनियर डीविजन-VI), चतरा।	अध्यक्ष	civilcourticcchatra9@rediffmail.com	7761813717
2.	श्रीमती सोनाली सिंह, सिविल जज (जुनियरडीविजन-I) सह-अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, चतरा।	सदस्य		
3.	श्रीमती संध्या प्रधान	गैर सरकारी संगठन (एन. जी.ओ.) की ओर से सदस्य		
4.	श्रीमती अर्चना भारती, सहायक, व्यवहार न्यायालय, चतरा।	सदस्य		
5.	श्रीमती सबिता देवी वर्मा, आदेशपाल, व्यवहार न्यायालय, चतरा।	सदस्य		

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया : कोई भी पीड़ित महिला जो व्यवहार न्यायालय परिसर में यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायत दर्ज कराना चाहती है, वह अपना आवेदन अध्यक्ष के ई-मेल आईडी के माध्यम से या अध्यक्ष के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा जमा कर सकती है, जिसपर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए एवं आपातकालीन स्थिति में पीड़ित महिला उपरोक्त तालीका में दर्शाई गई मोबाईल संख्या से भी संपर्क कर सकते हैं। इस आदेश को सभी के जानकारी हेतु न्यायालय के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए और डीएसए, चतरा को निर्देशित किया जाता है कि समिति के अध्यक्ष की ई-मेल आईडी एवं मोबाईल संख्या को अलग से निम्न शिर्षक के साथ प्रदर्शित करें :

व्यवहार न्यायालय परिसर में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दर्ज/शिकायत दर्ज हेतु सहायता प्राप्त करने के लिए ई-मेल आईडी एवं मोबाईल संख्या यह आदेश तत्काल प्रभावशाली होगा।
सभी को सूचित करें एवं और इस आदेश की प्रति को न्यायमंडल के सूचनापट पर प्रदर्शित करें।

ह०/- (शम्भु लाल साव)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
चतरा।
14.05.2024

OFFICE OF THE PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE, CHATRA
ORDER NO. : 52/2024(ADMN.) DATED : 14.05.2024 (Diglot)

In light of letter no. 019/HCIC dated 06.11.2023 and 06/HCIC dated 10.04.2024 of the Hon'ble High Court of Jharkhand, Ranchi with regard to compliance of the mandate of Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 (Posh Act) to address any complaint made with regard to Sexual Harassment of Women at Civil Courts Premises the "Internal Complaints Committee" is re-constituted in the following manner whose tenure shall be three years from today:

Sl.No.	Name	Designation of the Members in the Committee.	E-mail ID	Mobile Number
1.	Mrs. Sumeeta Shweta Minz, Civil Judge(Sr.Div.-VI)-cum-JMFC, Chatra	Chairperson	civilcourticcchatra9@rediffmail.com	7761813717
2.	Sri Sonali Singh, SDJM-cum-Civil Judge(Jr.Div.-I), Chatra	Member		
3.	Mrs. Sandhya Pradhan	Member from amongst the NGO		
4.	Mrs. Archana Bharti, Assistant, Civil Courts, Chatra	Member		
5.	Mrs. Sabita Devi Verma, Peon, Civil Court, Chatra	Member		

Procedure to file complaint: Any aggrieved women who wants to file complain with regard to sexual harassment in the Civil Court Premises can submit her application through e-mail ID of the Chairperson or by submitting it personally or by post in the office of the Chairperson of the committee, who shall proceed with the same as per law. For more details and in case of emergency aggrieved woman can contact with the mobile number given in the aforesaid table.

Let this order be displayed in the website of the Judgeship for general information and the DSA, Chatra is also directed to get the e-mail ID and Official Mobile Number of the Chairperson displayed separately with the following caption:
E-mail ID and Mobile Number to register/seeking assistance in filing complaints with regard to sexual harassment in the Civil Court Premises.

This order will come into force with immediate effect. Inform all concerned and display the copy of this order in the notice board of the Judgeship.

Sd/- (Shambhu Lal Shaw)
Principal District & Sessions Judge
Chatra
14.05.2024